न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 198/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/304**

दायर दिनांक :– 06.10.2022 **निर्णय दिनांक :– 12.06.2025**

01. ईदरीश पुत्र हासमदीन जाति मुसलमान नि. मोहरा त. फलोदी जिला फलोदी **(विलोपित)**
संगीता बिश्नोई पत्नी दिनेश गोदारा जाति विश्नोई नि. खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

01. अर्चनादेवी पत्नी सत्यनारायण राठी जाति माहेश्वरी नि. सेवड़ा त. कोलायत जिला बीकानेर
02. पुष्पादेवी पत्नी सत्यनारायण भैया जाति माहेश्वरी निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
03. श्रीराम राठी पुत्र मुरलीधर राठी जाति माहेश्वरी नि. सेवड़ा त. कोलायत जिला बीकानेर
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
2. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम किशनेरी जैती पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 237/22 रकबा 2.9947 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की और से अधिवक्ता विजय तंवर ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली में अधिवक्ता वकुलाय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम किशनेरी जैती पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 237/22 रकबा 2.9947 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वकुलाय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वकुलाय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वकुलाय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

नोट :– आदेश 01 नियम 10(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार ''न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, व आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए।'' सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान किये गये स्थानान्तरण मुकदमें के परिणाम के अधीन है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बाप के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी ने अपनी सम्पूर्ण भूमि संगीता बिश्नोई पत्नी दिनेश गोदारा को बेचान कर दी है जिसका अमल–दरामद भी राजस्व रिकॉर्ड में हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर भी संगीता बिश्नोई पत्नी दिनेश गोदारा ने सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये है। अतः न्यायालय के अभिमत में वादी ईदरीश पुत्र हासमदीन के स्थान पर संगीता बिश्नोई पत्नी दिनेश गोदारा को बतौर वादी संयोजित किये जाने से वाद पर कोई विपरित प्रभाव नहीं होता है। अतः इसी अनुसार वाद के शीर्षक में संशोधन किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम किशनेरी जैती पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 237/22 रकबा 2.9947 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में

12/01/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	सगीता बिश्नोई पत्नी दिनेश गोदारा जाति विश्नोई सा. खिदरत तहसील बाप जला फलोदी खातेदार	किशनेरी जैती	237 / 22 मी.	0.1619 हैक्टेयर	बी-4
2	अर्चना देवी पत्नी सत्यनारायण राठी 1/7 हि., श्रीराम पुत्र मुरलीधर राठी 4/7 हि. जाति माहेश्री सा. सेवड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर, पुष्पादेवी पत्नी सत्यनारायण भैया 2/7 हि. जाति माहेश्वरी सा. बाप खातेदार	किशनेरी जैती	237 / 22मी.	2.8328 हैक्टेयर	बी-4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, बाप, जिला फलोदी (राज.)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

12/6/25

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. ईदरीश पुत्र हासमदीन जाति मुसलमान नि. मोहरा त. फलोदी जिला फलोदी **(विलोपित)**

संगीता बिश्नोई पत्नी दिनेश गोदारा जाति विश्नोई नि. खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

01. अर्चनादेवी पत्नी सत्यनारायण राठी जाति माहेश्वरी नि. सेवड़ा त. कोलायत जिला बीकानेर

02. पुष्पादेवी पत्नी सत्यनारायण भैया जाति माहेश्वरी निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

03. श्रीराम राठी पुत्र मुरलीधर राठी जाति माहेश्वरी नि. सेवड़ा त. कोलायत जिला बीकानेर

04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 198/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम किशनेरी जैती पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 237/22 रकबा 2.9947 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	संगीता बिश्नोई पत्नी दिनेश गोदारा जाति विश्नोई सा. खिदरत तहसील बाप जला फलोदी खातेदार	किशनेरी जैती	237/22 मी.	0.1619 हैक्टेयर	बी—4
2	अर्चना देवी पत्नी सत्यनारायण राठी 1/7 हि., श्रीराम पुत्र मुरलीधर राठी 4/7 हि. जाति माहेश्री सा. सेवड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर, पुष्पादेवी पत्नी सत्यनारायण भैया 2/7 हि. जाति माहेश्वरी सा. बाप खातेदार	किशनेरी जैती	237/22 मी.	2.8328 हैक्टेयर	बी—4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग—अलग

बाप (फलोदी)

कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना

आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा

करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.06.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।